FORM NO -III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत कलक्टर, **मुकाम** नागौर

अपीलान्ट	**बनाम**	**रेस्पोडेन्टस्**
दीनाराम पुत्र जीवणराम जाति जाट निवासी गेमलियावास तहसील रियांबड़ी जिला नागौर		1. हुकमाराम पुत्र रामपाल जाति जाट निवासी गेमलियावास तहसील रियांबड़ी जिला नागौर वगैरह

किस्म मुकदमा राजस्व अपील संख्या 73 **सन्** 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
16.08.21	वकील अपीलान्ट ने धारा 225 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत तहसीलदार रियांबड़ी द्वारा प्रकरण संख्या–04/2021 प्रार्थीगण रामकुवांर पुत्र रामपाल वगैरह अन्तर्गत धारा 251 आर.टी. एक्ट प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 27.07.2021 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की है। अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोडेन्टस् जरिये सम्मन तलब हो। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार रियांबड़ी से मूल रिकार्ड तलब होकर पत्रावली दिनांक 20.09.2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर) जिला कलक्टर,नागौर	
20.9.2021	वकील अपीलांट उप० । रेस्पोन्डेन्ट सं. 1 व 3 की ओर से वकील श्री अनिल गौड़ ने अपना वकालतनामा पेश किया, मो शा० मि० हो । वकील अपीलांट द्वारा रेस्पोन्डेन्ट सं. 2 व 4 के पुन: सम्मन पेश होने पर जारी हो एवं अधिनस्थ न्यायालय को मूल रिकार्ड भिजवाने हेतु पुन: लिखा जावे। पत्रावली दिनांक 14/10/2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर) कलक्टर, नागौर	
14.10.21	वकील अपीलान्ट उप० । रेस्पो. [illegible] रेस्पो. सं. 1 व 3 की ओर से गत पेशी पर वकालतनामा पेश [illegible] चुका है। रेस्पो. 4 की ओर से एक उप० उक्त सम्मन ता. मि. है। वकील अपीलान्ट व अपीलान्ट स्वयं को बार-बार 3 बार आवाजें लगवाई परन्तु वकील अपीलान्ट एवं अपीलान्ट अथवा अपीलान्ट की ओर से कोई प्रतिनिधि न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अत: अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय को इस आदेश की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार [illegible] से दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) (डॉ० जितेन्द्र कुमार सोनी) कलक्टर, नागौर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:41:23 IST
Reason: SelfAttested